उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 27.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह भी मौजूद रहीं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

सुरक्षा का दायित्व निभा रही हैं "महिला पुलिस बीट अधिकारी"

मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम ।

जनपद महोबा में महिलाओं/बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के तहत संचालित कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज दिनांक 27.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस नोडल मिशन शक्ति श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरुकता अभियान चलाया गया तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया गया। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया गया है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 26.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त करन अनुरागी पुत्र काशीराम अनुरागी उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम कनकुआ थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिनके कब्जे से 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद करते हुए ग्राम कनकुआ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 181/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

करन अनुरागी पुत्र काशीराम अनुरागी उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम कनकुआ थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
2. प्र0उ0नि0 अनुज कुमार सिंह

@MahobaPolice

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 26.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 दिनेश सिंह के नेतृत्व पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्ता आरती पत्नी अजीत कबूतरा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा जिनके कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 292/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्ता –

आरती पत्नी अजीत कबूतरा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 दिनेश सिंह
2.का0 राजेश सिंह
3.म0का0 प्रियंका गौतम

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.09.2024
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने
01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 27.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा गठित की गई उ0नि0 अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त लोकेन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम सिचौरा थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित अ0सं0 1503/2014 व मु0नं0 1763/15 धारा 323/325/504/506 भादवि0 तथा मु0नं0 452/17, अ0सं0 115/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम सिचौरा थाना कबरई जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

लोकेन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम सिचौरा थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह
2. कां0 अंकुश पाल

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 26.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नरेन्द्र सिह पुत्र देवी सिंह उर्फ देवी प्रसाद निवासी ग्राम खिरिया खुर्द थाना महोबकंठ जनपद महोबा सम्बन्धित मु0सं0 307/2018 अ0सं0 730/2014 धारा 429 भादवि0 थाना महोबकंठ में मा0 न्यायालय न्यायिक मजि0 कुलपहाड़ महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम खिरिया खुर्द के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

नरेन्द्र सिह पुत्र देवी सिंह उर्फ देवी प्रसाद निवासी ग्राम खिरिया खुर्द थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
2. उ0नि0 अनुज कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 27.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त कार्यवाही, बच्चों की सुरक्षा को लेकर चलाया गया वाहनों का चेकिंग अभियान, मानकों पर खरा नहीं उतरने पर की गई कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनांक 27.09.2024 को ए.आर.टी.ओ. महोबा श्री दयाशंकर व प्रभारी यातायात पुलिस महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस महोबा द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए अभियान चलाया गया, इस दौरान नियमों के विरुद्ध संचालित स्कूली वाहनों यथा- बस, क्रूजर, ई-रिक्शा, ऑटो, ओमनी इत्यादि वाहनों एवं किराये पर स्कूली बच्चे ढोने वाले प्राइवेट वाहनों में सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सघन चेकिंग की गयी। इस विशेष अभियान के तहत स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा हेतु तयशुदा मानकों को परखा गया है। इस संयुक्त कार्यवाही के दौरान सुरक्षा मानको पर कमी पाये जाने पर 03 वाहनों को सीज किया गया है तथा 12 वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार चालान की कार्यवाही की गयी है।

चेकिंग अभियान के दौरान चालक और परिचालकों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए व स्कूल प्रशासन से बात कर हिदायत देते हुए कहा गया है कि स्कूल वाहन में वैध वाहनों का ही संचालन किया जाये, स्कूली वाहन के समस्त प्रपत्र दुरुस्त होने चाहिए तथा वाहन में सुरक्षा उपकरण जैसे दमकल यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स इत्यादि की उपलब्धता अवश्य होनी चाहिए साथ ही साथ स्कूली वाहन में प्रमुख हेल्पलाइन नम्बरों का अंकन स्पष्ट रुप से होना चाहिये। स्कूली वाहनों में कमियों के दृष्टिगत सम्बन्धित स्कूल प्रबन्धक को नोटिस प्रदान किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त ऐसे स्कूली छात्र जो बिना हेलमेट पहने हुए तथा तीन सवारी के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करते पाये गये ऐसे छात्रों की जीवनरक्षा को ध्यान में रखकर चेकिंग अभियान चलाया गया एवं यातायात नियमों की जानकारी प्रदान की गई है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 27.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत फायर टीम महोबा द्वारा जनपद के विभिन्न बैंकों की अग्निसुरक्षा का ऑडिट किया गया, वहां लगे अग्निशमन उपकरणों को चैक किया गया एवम् पाई गई कमियों को पूर्ण करने के उचित दिशा निर्देश दिए गए।

बैंको में अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में आज दिनांक- 27.09.2024 को जनपद महोबा में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्री देवेश तिवारी के निकट पर्यवेक्षण में अग्निशमन टीम महोबा द्वारा जनपद महोबा में अवस्थित विभिन्न बैंकों में अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत फायर ऑडिट किया गया एवं वहाँ लगे अग्निशमन उपकरणों को चेक किया गया वहाँ मौजूद सुरक्षा कर्मियों/स्टाफ को अग्निशमन उपकरण चलाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा सम्बन्धित बैक प्रबन्धक को अग्निशमन व्यवस्था से संबंधित उपकरणों को स्थापित किये जाने व समय-समय पर उनको रिफिल कराये जाने के निर्देश देते हुए दमकल सम्बन्धी उपकरणों को सदैव क्रियाशील रखने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, इस दौरान आग बुझाने के विभिन्न तरीकों को बताया गया एवं सभी को अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु जागरुक करते हुए जागरुकता पम्पलेट्स का वितरण किया गया।